

बाल भारती पब्लिक स्कूल

बीबीपीएसआरएच/पैरेंट/2024-25/05

10 अप्रैल 2024

प्रिय अभिभावक,

आपका बच्चा बीबीपीएस, रोहिणी में ईडब्ल्यूएस/वंचित श्रेणी के तहत डीओई के निर्देशों के अनुसार प्रवेश लिया था। कृपया ध्यान दें कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए, प्रवेश के समय जमा किया गया आय प्रमाण पत्र की वैधता केवल छह महीने की थी। आपको सलाह दी जाती है कि नवीनतम जारी आय प्रमाण पत्र/दuly नोटरी अटेस्टेड हलफनामा प्रस्तुत करें जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आप अभी भी उसी श्रेणी से संबंधित हैं।

डीजी श्रेणी (एससी/एसटी) के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के मामले में, माता-पिता को एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-attested फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी चाहिए।

डीजी श्रेणी (ओबीसी) के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के मामले में, उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी वर्ष 2024-25 के लिए एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपरोक्त दस्तावेजों की आवश्यकता सत्र 2024-25 के लिए स्कूल रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए है। आवश्यक दस्तावेजों को 20 अप्रैल 2024 तक कक्षा शिक्षक को जमा करना होगा।